राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

लोक न्यास/सार्वजनिक प्रन्यास के संबंध में जारी परिपत्र

क्रसं	परिपत्र क्रमांकः	दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1	प 5 (14)देव/2017	07.12.2017	न्यास गठन हेतु	2–7
2	प 5 (14)देव/2017	11.12.2017	परिवाद या जांच /निस्तारण हेतु	8–15
3	प 5 (14)देव/2017	29.12.2017	न्यास गठन व तदुपरांत उसमें परिवर्तन–प्रबंधन हेतु	16–20

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांकः प 5 (14)देव/2017 **जयपुर, दिनांक :** 07.12.2017

परिपत्र

किसी सार्वजनिक या लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) के गठन हेतु **राजस्थान लोक न्यास अधिनियम– 1959** एवं **राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962** के अन्तर्गत देवस्थान विभाग प्राधिकृत प्रशासनिक विभाग है। इस **अधिनियम व नियम** के अन्तर्गत सामान्य लोक न्यास के अतिरिक्त विभिन्न मंदिरों के संबंध में न्यास गठन हेतु भी आवेदन प्राप्त होते रहते हैं और इस संबंध में सहायक आयुक्तों द्वारा आपत्ति आमंत्रित करते हुए सामान्य लोक न्यास की ही तरह मंदिरों के लोक न्यास के पंजीयन की कार्यवाही भी की जाती है।

उल्लेखनीय है कि लोक न्यास निर्माण की जो सामान्य प्रक्रिया है, वह गैर–राजकीय संपदाओं के प्रबन्धन के लिए तो पर्याप्त सिद्ध हो सकती है, किन्तु राजकीय–सार्वजनिक संपदाओं के प्रबन्धन के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होती। विशेषतः मंदिरों के लोक न्यास के पंजीयन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना विशेष आवश्यक होता है, क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है और उसकी संपदा का स्वामित्व अहस्तांतरणीय होता है।

इस संबंध में दो बिन्दु आवश्यक रूप से विचारणीय हैं :– **स्वामित्व** तथा **प्रबन्धन।** देवस्थान विभाग के अधीन या राजकीय या सार्वजनिक भूमि पर बने मंदिर पर प्रबन्धन के लिए लोक न्यास निर्माण तो किया जा सकता है, किन्तु वे उसके द्वारा वे स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकते।

अतः जब भी किसी मंदिर विशेष के लिए इस प्रकार के आवेदन प्राप्त हों, निम्न बिन्दुओं का परीक्षण व तदनुरूप शर्तों का अंकन (**सामान्य प्रारूप संलग्न**) अनिवार्य होगा–

1 सर्वप्रथम यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उसके पास **भूमि के स्वामित्व का कोई सुस्पष्ट वैध अभिलेख** हो। यदि भूमि किसी व्यक्ति या संस्था विशेष के नाम न होकर मंदिर के ही नाम है, तो सामान्यतः उसमें प्रबन्धन हेतु न्यास का गठन होने पर भी उसे मंदिर व उसकी भूमि का स्वामी नहीं माना जा सकता और इस बात का स्पष्ट उल्लेख उनके पंजीयन पत्र व निर्णय पर अवश्य किया जाना चाहिए।

2 आपत्ति प्राप्त करते समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि के स्वामित्व के अभिलेख को भी विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि उस संबंध में भी किसी की आपत्ति हो, तो वह उसे समय रहते प्रस्तुत कर सके। इस संबंध में राजस्व व पंचायती राज/नगरीय विकास विभाग/नगर निकाय के अधिकारी को भी आवश्यक रूप से लिखित सूचना देकर सूचित किया जाए, क्योंकि वे ही राजकीय रूप से भूधारक होते हैं। इसका कारण यह भी है कि समाचार पत्रों में प्रकाशन की स्थिति में न तो समस्त

समाचार पत्रों का सर्कुलेशन पर्याप्त होता है और न ही प्रत्येक पाठक का उसमें ध्यान जा सकता है। इस हेतु **प्रत्येक प्रकार ट्रस्ट पंजीयन हेतु** देवस्थान विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट पर ऑनलाईन सुविधा विकसित की जाएगी, ताकि एक स्थान पर यह सूचना सदा उपलब्ध रह सके।

3 देवस्थान में अपंजीकृत व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों (राज्य के ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पूजा स्थलों) के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से दिनांक 07.12.2009 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में **7 सदस्यीय समिति** का गठन किया गया है। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग देवस्थान विभाग बनाया गया है। ऐसे में मंदिरों के न्यास गठन से पूर्व उस समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रावधानों अनुसार कोई अन्य समिति हो तो उसके समक्ष भी प्रकरण को प्रस्तुत कर अनुमोदित किया जाना उचित होगा।

4 इन मंदिरों में से अनेक मंदिर **राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त मंदिर** (विलीनीकरण के पूर्व रियासतों द्वारा मन्दिरों की सेवा–पूजा धूप–दीप नैवेद्य आदि के लिये स्वीकृत की गई सहायता राशि या सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड) का परम्परागत वार्षिक भुगतान वाले मंदिर) तथा **वार्षिकी प्राप्त मंदिर** (मन्दिरों/मठों की जागीरों के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप जागीर विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिकी (एन्यूटी) वाले मंदिर) भी हैं, जिनमें देवस्थान विभाग द्वारा स्वयं या राजस्व विभाग के माध्यम से पुजारियों को राजकीय सहायता अनुदान या शाश्वत वार्षिकी राशि प्रदान की जाती है। ऐसे मंदिरों के न्यास गठन से पूर्व पंजीयनकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त पुजारी का पक्ष भी सुना जाना उचित होगा। पुजारी भी किसी न्यास का सदस्य बन सकता है।

5 प्रबन्धन के लिए गठित किए जाने वाले प्रन्यासों द्वारा भी सारभूत रूप से उन्हीं नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जो सुपुर्दगी हेतु सामान्य शर्तों के रूप में वांछनीय होते हैं। उनके साथ स्पष्ट रूप में यह लिखा जाना चाहिए कि न्यास की स्थिति सुपुर्दगार के रूप में होगी और उनके साथ सुपुर्दगार के लिए निहित प्रावधानों का अनुबंध भी किया जाना चाहिए। यह भी अंकित किया जाना चाहिए कि सुपुर्दगी के लिए समय–समय पर निर्धारित होने वाले राज्य सरकार के नियम उन पर प्रभावी होंगे।

6 इसके साथ ही प्रबन्धन के लिए गठित किए जाने वाले प्रन्यासों में भविष्य में सार्वजनिक दानपात्र रखे जाने, उसके समुचित रूप में प्रदर्शित किये जाने और उससे प्राप्त राशि पर यथानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2009 के अनुसार गठित समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रावधानों से अधिशाषित होने की सहमति अनिवार्य होगी। ऐसे गठित ट्रस्ट पर गवर्निंग बॉडी के रूप में सदा उक्त समिति व राज्य सरकार का अधिकार रहेगा, ट्रस्ट उनके मार्गदर्शन अथवा अनुमोदन के अध्यधीन कार्य करेगा। राजकीय समिति अथवा विभाग द्वारा किसी भी समय ट्रस्ट के कार्यों का अंकेक्षण या निरीक्षण कराया जा सकेगा। मंदिरों के प्रबन्धन के लिए गठित किए जाने वाले प्रन्यासों के लिए उनका प्रथम दो वर्ष देवस्थान विभाग द्वारा परिवीक्षा काल के समान माना जायेगा और उनकी कार्यप्रणाली की विशेष मॉनिटरिंग की जायेगी। यदि इस अवधि में उनके द्वारा मंदिर प्रबंधन में समुचित कार्य नहीं किया गया, तो ट्रस्ट को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए निरस्त किया जा सकेगा। इस बात का भी अंकन ट्रस्ट के पंजीयन आदेश में कर दिया जाना चाहिए।

7 मंदिर मूर्ति की संपदा व राजकीय भूमि पर बने मंदिर की संपदा के संरक्षण और विकास का दायित्व चूंकि राजकीय दायित्व है, अतः उसमें न्यास की संरचना एवं उसके प्रस्तावित विधान पर भी मस्तिष्क का समुचित अनुप्रयोग करते हुए विचार किया जाए। सामान्य रूप से किसी लोक न्यास के गठन में न्यास का सदस्य एकल भी हो सकता है, वह आजीवन सदस्य भी रह सकता है, उसके वंशानुगत रूप में भी सदस्य बने रहने के अधिकार हो सकते हैं और वह स्वयं अपने नियम निर्धारित कर सकते हैं। परंतु जिन मंदिर की संपदा राजकीय या सार्वजनिक रही है, वहां पर ट्रस्ट गठित किए जाते समय उक्त प्रावधान मान्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां संपदा उनकी व्यक्तिगत रूप से अर्जित या निजी अधिकारिता में न होकर राजकीय एवं सार्वजनिक संपदा है और उन पर कोई निजी रूप में सम्मिलित हुआ न्यासी ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें न्यास के सदस्य के रूप में प्रस्तावित या कालांतर में न्यासी बनने में सदस्य की छवि व क्षमता का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। इस हेतु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सदस्य आपराधिक छवि का या न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध न हो। इसमें यथासंभव उन लोगों को ही सदस्य बनाने में वरीयता दी जानी चाहिए, जो समाज सेवा या जनहित के कार्यों से जुडे रहे हों। आवश्यकतानुसार उसमें एक्जीक्यूटिव बॉडी और गवर्निंग बॉडी को अलग–अलग रखा जा सकता है, ताकि दैनिक कार्य निष्पादन और बृहत्तर नीतिगत निर्णय के कार्य अपने–अपने स्तर पर संपादित हो सकें। नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक सदस्य से उसका मोबाइल नंबर, भामाशाह नंबर, आधार नंबर लिया जा सकता है। राजकीय भूमि पर बने मंदिर की संपदा के समुचित संरक्षण और विकास हेतु औचित्य अनुसार समिति में गैर राजकीय के साथ–साथ राजकीय सदस्यों को भी प्राथमिकता से सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि न्यास के प्रस्तावित विधान में कोई बिन्दु वित्तीय पारदर्शिता और समुचित प्रबंधन की दृष्टि से बाधक प्रतीत होता है, तो उसे संशोधित करवाने की कार्यवाही की जा सकती है।

8 प्रबंधन हेतु गठित ऐसे किसी ट्रस्ट द्वारा अपने किसी भी लेटरहेड अथवा बैनर अथवा अभिलेख में स्वयं का स्वामित्व अंकित नहीं करना होगा, उसे आवश्यक रूप से उस मंदिर की संपदा को राजकीय विभाग की संपदा अंकित करना होगा।

9 राज्य सरकार की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर बने मंदिर के प्रबंधन हेतु गठित ट्रस्ट के द्वारा अपनी बैठक एवं आय–व्यय का विवरण समयानुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इनकी विशेष मॉनिटरिंग इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें मंदिर मूर्ति की संपदा एवं राजकीय/सार्वजनिक राशि समाहित होती है और उसमें किसी भी व्यतिक्रम की स्थिति में ट्रस्ट नियमानुसार विधिक कार्यवाही का दायी होगा। आय–व्यय की पारदर्शिता हेतु देवस्थान विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट पर ऑनलाईन सुविधा विकसित की जाएगी, ताकि एक निर्धारित स्थान पर यह सूचना सदा उपलब्ध रह सके। इसमें न्यास द्वारा नियमानुसार अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

10 ऐसे मंदिर, जहां पूर्व में न्यास का गठन हो चुका है, वहां भी उनके स्वामित्व का परीक्षण किया जा सकता है। विशेषतः जहां भूमि अधिग्रहण के कारण अथवा फसल खराब होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राशि दी जानी है, वहां बिना उक्त पुष्टि के मंदिर के न्यास को राशि न दी जाए। जहां मंदिर में विवाद की स्थिति आती है या अनियमितता की शिकायत आती है, वहां भी इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। जहां प्रकरण में अस्पष्टता

है, वहां आयुक्त स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है अथवा मार्गदर्शन हेतु शासन को भेजा जा सकता है।

11 न्यास गठन में कई बार ट्रस्ट तथा मंदिर दोनों के लिए न्यास या प्रन्यास शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे भ्रान्ति उत्पन्न होती है। स्पष्टतः ट्रस्ट के लिए ही न्यास या प्रन्यास शब्द का प्रयोग किया जाए, मंदिर के लिए नहीं। जहां राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 2 (11) के अन्तर्गत न्यास शब्द का प्रयोग किया जाना है, वहां भी स्पष्टता के लिए न्यास के पंजीयन से पूर्व उसे स्पष्टतः या तो मंदिर के रूप में उल्लेख किया जाय या कोष्ठक में इसका उल्लेख किया जाय।

12 ऐसे मंदिर, जहां न्यास गठन हेतु सदस्यों अथवा संस्था का अभिलेखीय स्वामित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है, वहां शर्तों की पूर्ति आवश्यक नहीं होगी और पूर्ववत् पंजीयन किया जा सकेगा, परंतु प्रत्येक प्रकरण में समस्त सूचना व आपत्ति की प्रकिया आवश्यक रूप से विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उनके संबंध में भी मंदिर होने की स्थिति में राजस्व व पंचायती राज/नगरीय विकास विभाग/नगर निकाय के अधिकारी को भी आवश्यक रूप से लिखित सूचना देकर सूचित किया जाए। जहां मंदिर में पुजारी या महंत के रूप में कोई धार्मिक आध्यात्मिक पद होगा, वहां गुणावगुण पर विचार कर उनके उपलब्ध साक्ष्य अनुसार उन्हें उस कार्य हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

तदनुरूप पालना सुनिश्चित की जाए।

आज्ञा से,

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।

2 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

3 सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर– प्रथम एवं द्वितीय/उदयपुर/कोटा /बीकानेर /जोधपुर /भरतपुर/हनुमानगढ/ऋषभदेव एवं वृन्दावन।

4 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

राजकीय/सार्वजनिक भूमि पर बने मंदिर के प्रबन्धन हेतु गठित होने वाले लोक न्यास के लिए शर्तों का प्रारूप

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम- 1959 एवं राजस्थान लोक न्यास नियम- 1962 के अन्तर्गत राजकीय/सार्वजनिक भूमि पर बने मंदिर पर प्रबन्धन के लिए देवस्थान विभाग के अंतर्गत लोक न्यास के गठन हेतु प्राप्त आवेदनों में लोक न्यास के पंजीयन के अभिलेख पर अंकित की जाने वाली सामान्य शर्तों का प्रारूप निम्नानुसार है-

1 उक्त न्यास (ट्रस्ट) केवल मंदिर के प्रबन्धन हेतु गठित है और वह मंदिर व उसकी भूमि का स्वामी नहीं है। यदि मंदिर के नाम कोई भूमि/सम्पत्ति होगी तो वह यथावत मंदिर के नाम ही रहेगी , ट्रस्ट के नाम उसका अंकन नहीं किया जाएगा।

2 न्यास की स्थिति लोक कल्याणकारी होगी और किसी भी न्यासी का पद लाभ का पद नहीं होगा।

3 न्यास द्वारा अपने किसी भी लेटरहेड अथवा बैनर अथवा अभिलेख में स्वयं का स्वामित्व अंकित नहीं करना होगा, उसे आवश्यक रूप से उस मंदिर की संपदा को देवस्थान या राजकीय विभाग की संपदा अंकित करना होगा।

4 उक्त न्यास यथानुसार देवस्थान में अपंजीकृत व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से दिनांक 07.12.2009 द्वारा गठित समिति अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समिति या व्यवस्था द्वारा अधिशाषित रहेगा अर्थात् उक्त न्यास एतदनुरूप समिति व विभाग के मार्गदर्शन अथवा अनुमोदन के अध्यधीन कार्य करेगा।

5 प्रबन्धन के लिए गठित किए गए उक्त न्यास की स्थिति सुपुर्दगार के रूप में होगी और न्यास द्वारा सारभूत रूप से उन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा, जो सुपुर्दगी हेतु सामान्य शर्तों के रूप में वांछनीय हैं। इस संबंध में सुपुर्दगी अथवा संरक्षण के लिए समय-समय पर निर्धारित होने वाले राज्य सरकार के नियम उन पर प्रभावी होंगे।

6 उक्त न्यास मंदिर की चल-अचल सम्पदा का समुचित संधारण व प्रबंधन करेगा। मंदिर की धार्मिक परम्परा अनुसार पूजा व्यवस्था का उत्तरदायित्व न्यास का होगा , जिसमें धार्मिक परम्परा के समुचित पालन एवं दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक सुविधा का विकास करना होगा। न्यास के द्वारा मंदिर के परम्परागत पुजारी में कोई परिवर्तन देवस्थान विभाग अथवा यथानुसार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकेगा।

7 मंदिर में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति अथवा प्रावधान अनुसार दानपात्र रखा जाएगा। न्यास उसके समुचित रूप में प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था करेगा। दानपात्र में प्राप्त राशि का मंदिर के प्रबंधन व विकास पर व्यय किया जा सकेगा , किंतु उसका प्रयोग यथानुसार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा अधिशाषित होगा। दानपात्र के खोलने व रखने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति अथवा प्रावधान अनुसार होगी। समिति दान या जन सहयोग प्राप्त करने हेतु अन्य प्रक्रिया सुझा सकेगी , परंतु प्रत्येक स्थिति में आय-व्यय का विवरण पारदर्शी नियमानुसार एवं सार्वजनिक रखा जाएगा। आय-व्यय की पारदर्शिता हेतु देवस्थान विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट पर ऑनलाइन सुविधा विकसित की जाएगी , जिसमें न्यास द्वारा नियमानुसार अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

8 उक्त न्यास के किसी भी सदस्य की सदस्यता न तो आजीवन होगी , न ही वंशानुगत। उसकी सम्पदा पर किसी भी सदस्य के कोई निजी अधिकार सर्जित नहीं होंगे। यदि न्यास अथवा कोई सदस्य मंदिर की संपदा के समुचित संरक्षण और विकास में विफल रहता है अथवा वित्तीय अनियमितता और आपराधिक कृत्य का दोषी पाया जाता है, तो समुचित विचारण कर उसे न्यास से हटाया जा सकता है और साथ ही उसके विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

9 उक्त न्यास के द्वारा अपनी बैठक एवं आय-व्यय का विवरण समयानुसार प्रस्तुत किया जाना होगा और उसमें किसी भी व्यतिक्रम की स्थिति में न्यास नियमानुसार विधिक कार्यवाही का दायी होगा। राजकीय समिति अथवा विभाग द्वारा किसी भी समय न्यास के कार्यों का अंकेक्षण या निरीक्षण कराया जा सकेगा।

10 उक्त न्यास के लिए उनका प्रथम दो वर्ष परिवीक्षा काल माना जायेगा और यदि इस अवधि में उनके द्वारा मंदिर प्रबंधन में समुचित कार्य नहीं किया गया , तो उसे समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए निरस्त किया जा सकेगा।

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांकः प 5 (14)देव/2017 **जयपुर, दिनांक :** 11.12.2017

परिपत्र

लोक न्यास/सार्वजनिक प्रन्यास के संबंध में प्राप्त होने वाले परिवाद निस्तारण हेतु वांछित सूचना प्रेषित करने के संबंध में।

किसी सार्वजनिक या लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) के गठन एवं उनसे जुडे विभिन्न बिंदुओं के निस्तारण हेतु **राजस्थान लोक न्यास अधिनियम– 1959** एवं **राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962** के अन्तर्गत देवस्थान विभाग प्राधिकृत प्रशासनिक विभाग है। इस **अधिनियम व नियम** के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन के उपरांत उनके कार्यों अथवा सदस्यों को लेकर विभिन्न परिवाद या जांच हेतु आवेदन भी प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें कतिपय प्रकरण लोक न्यास के उद्देश्यों में विफल होने पर प्रशासनिक प्रबंध समिति के गठन से भी संबंधित होते हैं। इनमें सामान्यतः न्यायिक एवं अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा जांच व निस्तारण की कार्यवाही भी की जाती है।

उल्लेखनीय है कि अनेक लोक न्यास सार्वजनिक/राजकीय संपदाओं या मंदिरों के प्रबन्धन के लिए गठित होते हैं, जिनमें जांच या परिवाद निस्तारण हेतु विभिन्न सूचनाओं का समुचित संधारण, प्राप्ति एवं संप्रेषण आवश्यक होता है। इस हेतु अधिनियम एवं नियम के प्रावधान के अनुसार विहित प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। परंतु कतिपय बिंदु ऐसे होते हैं, जिन पर एक सरल संक्षिप्त सूचना संधारित की जानी आवश्यक होती है। इसके अभाव में ऐसे प्रकरण विभिन्न स्तरों पर दीर्घ काल तक लंबित रहते हैं। विशेषतः उनकी अपील या अन्य सूचना हेतु आयुक्तालय तथा शासन स्तर पर बारम्बार सूचनाओं हेतु पत्र प्रेषित किए जाते रहते हैं।

इनके समाधान हेतु सूचना प्रेषित करने हेतु **प्रपत्र** प्रेषित किया जा रहा है, भविष्य में ऐसे प्रकरणों को इस प्रपत्र के अनुसार सूचित एवं संधारित किया जाए। ऐसे परिवाद शासन एवं प्रशासन दोनों स्तरों पर आ सकते है और यह प्रपत्र दोनों ही स्तरों पर जांच हेतु प्रयुक्त होगा। इस संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है–

- प्रपत्र में वांछित सूचना सरल तालिका के रूप में होने पर भी अनेक बिंदुओं पर विस्तृत सूचना की अपेक्षा रखती है, जो समय साध्य एवं श्रम साध्य हो सकता है। इसके समाधान हेतु प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर न्यासियों या पक्षकारों से भी वांछित सूचना ली जा सकती है। **(निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।)** इससे न्यासी को स्वयं अपना पक्ष भी प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है।

- जिन प्रकरणों में न्यासियों को निरीक्षक अथवा सहायक आयुक्त द्वारा न्यास या न्यासी को दोषी ठहराया गया है, वहां उनको आरोप या निष्कर्ष के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या लिखित रूप से अपने पक्ष में साक्ष्य या स्पष्टीकरण देने हेतु अवसर दिया जा सकता है।
- जिन प्रकरणों में न्यासियों को निरीक्षक अथवा सहायक आयुक्त द्वारा दोषमुक्त किया गया है, वहां परिवादी या अन्य पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने आरोप के पक्ष में साक्ष्य देने हेतु अवसर दिया जा सकता है।
- इनमें से जहां भी सूचना या विवरण उपलब्ध हो, आवश्कतानुसार उसकी प्रति संलग्न कर संलग्नक नम्बर अंकित कर टिप्पणी में अंकन करते हुए सूचना संधारित/प्रेषित करें। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ पृथक से संलग्न करें।

तदनुरूप पालना सुनिश्चित की जाए।

आज्ञा से,

शासन सचिव, देवस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

5 आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।

6 सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर– प्रथम एवं द्वितीय/उदयपुर/कोटा /बीकानेर /जोधपुर /भरतपुर/हनुमानगढ/ऋषभदेव एवं वृन्दावन।

7 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

लोक न्यास/सार्वजनिक प्रन्यास के संबंध में प्राप्त होने वाले परिवाद निस्तारण हेतु वांछित सूचना

प्रपत्र–1

क्र.सं.	वांछित सूचना के बिन्दु	सूचना	संलग्नक	टिप्पणी
1	सार्वजनिक प्रन्यास के गठन/पंजीयन की तिथि			
2	सार्वजनिक प्रन्यास के गठन/पंजीयन के समय कुल सदस्यों की संख्या			
3	सार्वजनिक प्रन्यास के गठन/पंजीयन के समय निर्णय व विधान की प्रति।			
4	सार्वजनिक प्रन्यास के निर्णय व विधान अनुसार निम्न में से कोई स्थिति हैः– ○ किसी न्यासी की आजीवन सदस्यता ○ किसी न्यासी का वंशानुगत अधिकार	हां/नहीं		
5	सार्वजनिक प्रन्यास के विरुद्ध आपत्तियों या विवाद के पक्षकार ○ न्यासियों के मध्य विवाद ○ न्यासियों के वारिसों को लेकर विवाद ○ न्यास की कार्यशैली को लेकर जनसामान्य या अन्य पक्ष का परिवाद ○ न्यास की अधिकारिता को लेकर पंचायत या अन्य विभाग का परिवाद ○ न्यास के कुप्रबंधन एवं अव्यवस्था को लेकर किसी प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। **इसमें प्रकरण एक से अधिक श्रेणी में आ सकते है अतः तदनुरूप टिक या अंकित कर दें।**			
6	सार्वजनिक प्रन्यास के विरुद्ध आपत्तियों या विवाद के बिन्दु– ○ सदस्यता, योग्यता या उत्तराधिकार			

	संबंधी विवाद ○ न्यास की अनुचित कार्यशैली या कुप्रबंधन या विफलता संबंधी विवाद ○ न्यास के द्वारा वित्तीय अनियमितता संबंधी परिवाद ○ न्यास के द्वारा बिना सक्षम अधिकारिता के सम्पत्ति का हस्तांतरण या निर्माण **इसमें प्रकरण एक से अधिक श्रेणी में आ सकते है अतः तदनुरूप टिक या अंकित कर दें।**			
7	सार्वजनिक प्रन्यास के विरुद्ध आपत्तियों या शिकायतों का बिंदुवार विवरण **(विवाद्यक या आरोप पत्र के रूप में सार)**			
8	सार्वजनिक प्रन्यास के विरुद्ध आपत्तियों या शिकायतों पर बिंदुवार सहायक आयुक्त की टिप्पणी।			
9	सार्वजनिक प्रन्यास के विरुद्ध आपत्तियों या शिकायतों पर देवस्थान निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई जांच की गई हो, तो उसकी रिपोर्ट।			
10	क्या सार्वजनिक प्रन्यास या उसके सदस्य के विरुद्ध किसी आपराधिक प्रकरण के दर्ज होने की सूचना है।	हां/नहीं		
11	क्या सार्वजनिक प्रन्यास या उसके सदस्य का प्रन्यास के संबंध में न्यायिक प्रकरण दर्ज /रहे होने की सूचना है।	हां/नहीं		
12	क्या सार्वजनिक प्रन्यास से संबंधित किसी प्रकरण में न्यायिक स्थगन/रिसीवर नियुक्त है?	हां/नहीं		
13	क्या प्रन्यास के प्रकरण की कोई प्रशासनिक या अर्धन्यायिक प्रक्रिया सहायक आयुक्त/आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन है? यदि हां तो कब से और किस स्तर पर।	हां/नहीं		
14	यदि प्रकरण लोक न्यास अधिनियम की धारा–53/54 के अन्तर्गत प्रबंध समिति गठित करने हेतु विचाराधीन है, तो इसमें निम्न सूचना प्रस्तुत करें– ○ क्या न्यासियों को नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जा चुका है? ○ क्या इस संबंध में सहायक	हां/नहीं हां/नहीं		

<table>
<tr><td></td><td>आयुक्त/आयुक्त की स्पष्ट अभिशंषा है?
○ क्या इस संबंध में जिला प्रशासन आदि की कोई टिप्पणी है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा– 35 के अनुरूप बजट की समय पर सूचना दी गई है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा– 36 के अनुरूप अंकेक्षण की समय पर सूचना दी गई है?

यदि हां, तो
प्रन्यास की विगत वित्तीय वर्ष में आय–व्यय एवं बचत–
<table><tr><th>वर्ष</th><th>आय</th><th>व्यय</th><th>बचत शेष</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>यदि सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा प्रेषित अंकेक्षण रिपोर्ट में कोई अपारदर्शिता, अपव्यय, दुरूपयोग या गबन की स्थिति या संभावना परिलक्षित होती है, तो टिप्पणी</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास अधिनियम के अनुरूप सदस्य की मृत्यु एवं सदस्य परिवर्तन आदि की समय पर सूचना दी गई है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप कोई विकासात्मक या लोक कल्याणकारी कार्य करने की सूचना दी गई है?

यदि हां, तो प्रन्यास के विकासात्मक या लोक कल्याणकारी कार्य की सूची
<table><tr><th>वर्ष</th><th>क्र.सं.</th><th>कार्य</th><th>व्यय</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास के आयकर अधिनियम में नियमानुसार आयकर से छूट की कोई सूचना है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
</table>

21	यदि प्रन्यास मंदिर से संबंधित है, तो क्या प्रन्यास के गठन से पूर्व मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों के अराजकीय मंदिरों के अन्तर्गत रहा है, जिनके प्रबंधन हेतु देवस्थान विभाग के आदेश दिनांक 18.06.92 या प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 27.05.2002 07.12.2009 प्रभावकारी हो सकते है।	हां/नहीं		
22	यदि प्रन्यास मंदिर से संबंधित है, तो क्या प्रन्यास के गठन के समय सदस्यों द्वारा मंदिर की सम्पदा उनकी सम्पत्ति होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	हां/नहीं		
23	यदि प्रन्यास मंदिर से संबंधित है, तो उसकी कुल भूमि, राजस्व अभिलेख अनुसार			
24	अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु या विशेष टिप्पणी			

नोटः–

- इनमें से जहां भी सूचना या विवरण उपलब्ध हो, आवश्कतानुसार उसकी प्रति संलग्न कर संलग्नक नम्बर अंकित कर टिप्पणी में अंकन करते हुए सूचना संधारित/प्रेषित करें।
- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ पृथक से संलग्न करें। विशेषतः बिन्दु संख्या 7, 8, 16, 19 आदि के लिए अतिरिक्त पृष्ठ आवश्यक हो सकते हैं।

सार्वजनिक प्रन्यास के संबंध में प्राप्त होने वाले परिवाद पर न्यासी से वांछित सूचना

प्रपत्र–2

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वांछित सूचना के बिन्दु</th><th>सूचना</th><th>संलग्नक</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सार्वजनिक प्रन्यास के विरुद्ध आपत्तियों या शिकायतों या जांच के निष्कर्षों पर न्यासी की बिंदुवार टिप्पणी या स्पष्टीकरण।

(आरोप का बिंदुवार विवरण विवाद्यक या आरोप पत्र के रूप में सार के रूप में न्यासी को सूचित/प्रेषित कर दिया जाये।)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास या उसके सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण के दर्ज है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास या उसके सदस्य का प्रन्यास के संबंध में न्यायिक प्रकरण दर्ज है या रहा है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास से संबंधित किसी प्रकरण में न्यायिक स्थगन/रिसीवर नियुक्त है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा– 35 के अनुरूप बजट की समय पर सूचना दी गई है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा– 36 के अनुरूप अंकेक्षण कराया गया है और उसकी समय पर सूचना दी गई है? यदि हां तो वर्षवार आय व व्यय का विवरण दें।

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>आय</th><th>व्यय</th><th>बचत शेष</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास अधिनियम के अनुरूप सदस्य की मृत्यु एवं सदस्य परिवर्तन आदि की समय पर सूचना दी गई है?</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>क्या सार्वजनिक प्रन्यास द्वारा लोक न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप कोई विकासात्मक या लोक कल्याणकारी कार्य करने की सूचना दी गई है? यदि हां तो वर्षवार कार्य का विवरण दें।

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>क्र.सं.</th><th>कार्य</th><th>व्यय</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>हां/नहीं</td><td></td><td></td></tr>
</table>

9	क्या सार्वजनिक प्रन्यास के आयकर अधिनियम में नियमानुसार आयकर से छूट प्राप्त है? यदि हां तो कब से?	हां/नहीं		
10	यदि प्रन्यास मंदिर से संबंधित है, तो क्या प्रन्यास के गठन के समय सदस्यों द्वारा मंदिर की सम्पदा उनकी सम्पत्ति होने का कोई साक्ष्य है?	हां/नहीं		
11	यदि प्रन्यास मंदिर से संबंधित है, तो क्या उसके कुल या परिवार या वंशानुगत अधिकार का कोई साक्ष्य है?	हां/नहीं		
12	यदि प्रन्यास मंदिर से संबंधित है, तो उसकी कुल भूमि, राजस्व अभिलेख अनुसार कितनी है?			
13	अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु या विशेष टिप्पणी			

नोट–

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें। विशेषतः बिन्दु संख्या 1, 6, 8 आदि के लिए अतिरिक्त पृष्ठ आवश्यक हो सकते है।

दिनांक –

क्र.सं.	**नाम**	**हस्ताक्षर**

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांकः प 5 (14)देव/2017 **जयपुर, दिनांक :** 29.12.2017

परिपत्र

सार्वजनिक या लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) के गठन हेतु राजस्थान लोक न्यास अधिनियम– 1959 एवं राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962 के अन्तर्गत न्यास गठन व तदुपरांत उसमें परिवर्तन–प्रबंधन आदि से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु समुचित प्रक्रिया निर्धारण हेतु

किसी सार्वजनिक या लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) के गठन हेतु **राजस्थान लोक न्यास अधिनियम– 1959** एवं **राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962** के अन्तर्गत देवस्थान विभाग प्राधिकृत प्रशासनिक विभाग है। इस **अधिनियम व नियम** के अन्तर्गत सामान्य लोक न्यास के अतिरिक्त विभिन्न मंदिरों के संबंध में न्यास गठन के अतिरिक्त उसमें परिवर्तन एवं उसके प्रबंधन के संबंध में भी देवस्थान विभाग द्वारा प्रकरणों का समुचित न्यायिक प्रक्रिया अपना कर निस्तारण किया जाता है।

वर्तमान सूचना अनुसार देवस्थान विभाग के अन्तर्गत 8000 से अधिक न्यास गठित हैं और 1 हजार से अधिक न्यास के प्रकरण विभिन्न न्यायिक/अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं में सहायक आयुक्तों के कार्यालयों में विचाराधीन हैं। ऐसे प्रकरण प्रतिवर्ष लगभग 500 तक नए रूप में दर्ज भी हो जाते हैं और इस प्रकार यह एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है।

इस संबंध में गठन के उपरांत मुख्यतः निम्न रूपों में आवेदन या आपत्तियां प्राप्त होती हैं–

1 धारा 23–24 के अंतर्गत न्यास के सदस्य या विधान या किसी अन्य प्रविष्टि के परिवर्तन हेतु

2 धारा 32, 33, व 36 के अंतर्गत अंकेक्षण हेतु

3 धारा 38 के अंतर्गत न्यास के कुप्रबन्ध की जांच करने हेतु

4 धारा 31 के अंतर्गत न्यास की सम्पदा का अंतरण करने हेतु

5 धारा 53 के अंतर्गत न्यास के विफल होने पर प्रशासनिक प्रबंध समिति गठित करने हेतु

इस हेतु जो भी आवेदन व परिवाद प्राप्त होते रहते हैं, उनमें यथानुसार सहायक आयुक्तों द्वारा आपत्ति आमंत्रित करते हुए सामान्य लोक न्यास गठन या पंजीयन की ही तरह कार्यवाही भी की जाती है।

यहां विचारणीय है कि ट्रस्ट के पंजीयन से पूर्व वस्तुतः उसमें कोई सदस्य नहीं होता, परन्तु पहले से उसके हितधारक अवश्य हो सकते हैं। किंतु उनके हितधारक होने का बिन्दु पंजीयन से पूर्व समुचित रूप में स्पष्ट नहीं होता है, इस कारण ही सार्वजनिक सूचना का व्यवस्थित प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में पंजीयन से पूर्व उनके वस्तुतः हितधारक होने का बिन्दु समुचित साक्ष्यों से स्पष्ट व पुष्ट किया जाना चाहिए।

जहां ट्रस्ट के गठन के उपरांत उसके सदस्य बन चुके होते हैं, वहां किसी भी परिवर्तन की स्थिति में उन्हें सूचित करना आवश्यक हो जाता है। यह प्रायः परिलक्षित होता है कि विभिन्न सहायक आयुक्तों द्वारा इसमें अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। **राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962** के अन्तर्गत नियम 20(3) में सम्मन तामील किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में जिन समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन किया जाता है, समाचार पत्रों के सर्कुलेशन के संबंध में भी कोई स्पष्ट प्रावधान न होने से ऐसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हो जाता है, जिनका पर्याप्त सर्कुलेशन ही नही होता। इस प्रकार किसी भी परिवर्तन की स्थिति में वाद और विवाद की निरन्तर संभावना बनी रह जाती है।

इसके समाधान हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं–

1 **राजस्थान लोक न्यास अधिनियम– 1959** की धारा 23 के अंतर्गत न्यास के सदस्य या विधान या किसी अन्य प्रविष्टि के परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों में उसकी प्रति आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड एडी द्वारा अन्य समस्त सदस्यों को दी जाए। इस संबंध में सर्वाधिक आवश्यक यह होगा कि किसी भी सदस्य को यदि किसी भी कारण से हटाया या विलोपित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, तो वहां उसे अवश्य सूचना दी जाए। जहां पर किसी सदस्य की मृत्यु हो गयी है, वहां पर उसके विधिक

उत्तराधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी आवश्यक होगी। इस हेतु आवश्यक सूचना एवं नोटिस की प्रतियां मय रजिस्टर्ड एडी लागत के आवेदक द्वारा दी जाएगी।

2 समाचार पत्रों में भी प्रकाशन के संबंध में पर्याप्त सर्कुलेशन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक होगा कि कम से कम ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाए, जो सर्कुलेशन की दृष्टि से राज्य या जिले या उस तहसील के पांच शीर्ष समाचार पत्रों में आता हो। प्रकाशन समस्त राज्य की बजाय केवल संबंधित जिले या उस तहसील के संस्करण में किया जा सकता है।

3 प्रत्येक प्रकरण में नोटिस, सूचना व आपत्ति की प्रक्रिया आवश्यक रूप से विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

4 **राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962** के अन्तर्गत नियम 21 में सार्वजनिक नोटिस के संबंध में प्रावधान है। सार्वजनिक या लोक न्यास होने के कारण इसे संबंधित ग्राम पचायत बोर्ड व पटवार घर पर भी प्रकाशन हेतु भेजा जाना चाहिए, ताकि जन सामान्य को इसका समुचित पता चल सके।

5 सूचना इस प्रकार प्रकाशित होनी चाहिए कि उससे ऐसे धर्मस्थल और उसकी सम्पदा का समुचित विवरण पता चल सके। इसमें उसके ग्राम, तहसील के साथ–साथ दावा की गई सम्पूर्ण भूमि का भी विवरण अंकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में **राजस्थान लोक न्यास नियम– 1962** के प्रपत्र संख्या 8 व 4 में अभ्युक्ति के कॉलम में समस्त आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप में लिखे जाएं।

6 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचलों के एवं अविज्ञापित (जो देवस्थान विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत या अधिसूचित नहीं हैं।) मंदिरों (परंपरागत मंदिर माफी की कृषि भूमि वाले मंदिर) के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अंतर्गत 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, उपरोक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, देवस्थान विभाग बनाया गया है। साथ ही देवस्थान निरीक्षक या संबंधित वृत्त के सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा नामित विभागीय कार्मिक को सदस्य सचिव (समन्वयक) बनाया गया है। साथ ही ऐसे मंदिरों में से अनेक को देवस्थान राजकीय सहायता अनुदान या शाश्वत वार्षिकी प्रदान की जाती है। देवस्थान विभाग में दर्ज सूचना अनुसार राज्य में ऐसे राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त मंदिरों की संख्या 10009 तथा शाश्वत वार्षिकी

प्राप्त मंदिरों की संख्या 48466 है। अतः किसी मंदिर के लिए न्यास गठन या उससे संबंधित वादों/परिवादों के निस्तारण की कार्यवाही के समय उन्हें उस मंदिर के हितरक्षक की भांति भी विचारण किया जाना चाहिए तथा आवश्यक होने पर धारा 23–24 के अंतर्गत संशोधन, धारा 32, 33, व 36 के अंतर्गत अंकेक्षण, व धारा 38 के अंतर्गत न्यास के कुप्रबन्ध की जांच करने की कार्यवाही की जाए और न्यास के विफल होने पर धारा 53 के अंतर्गत प्रशासनिक प्रबंध समिति गठित करने हेतु कार्यवाही की जाए।

7 मंदिर के साथ मंदिर की कृषि भूमि भी हो सकती है, जो मूलतः उसके प्रबन्धन एवं विकास हेतु प्रयुक्त किए जाने के उद्देश्य से निहित रही है। इसमें यदि किसी मंदिर के साथ मंदिर की कृषि भूमि भी है, तो उसमें न्यास के पंजीयन हेतु आवेदकों से उसकी कृषि एवं उससे होने वाली आय की व्यवस्था का भी विवरण लिया जाना चाहिए। चूंकि मंदिर में पूजन तथा मंदिर की कृषि भूमि का प्रबन्धन दोनों की प्रकृति भिन्न है अतः इसमें समुचित विकल्प न आने पर पृथक–पृथक प्रबन्धन का विकल्प भी अपनाया जा सकता है, परन्तु उससे प्राप्त आय मंदिर/तीर्थस्थल के प्रबन्धन, संचालन एवं विकास पर ही की जानी उचित होगी।

8 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि **राजस्थान लोक न्यास अधिनियम– 1959** के अध्याय की धारा–2 के (19) के अंतर्गत उल्लेख है कि ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियां जिनका कि इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किन्तु जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है, उनके वही अर्थ होंगे, जो **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** (1882 का केन्द्रीय अधिनियम) में उनके लिए क्रमशः बताये गए हैं। अतः आवश्यक होने पर उसका अवलोकन व प्रयोग किया जाए।

9 यद्यपि लोक ट्रस्ट के संबंध में प्रावधान समान हैं, किन्तु समस्त लोक ट्रस्ट की प्रकृति समान नहीं हो सकती। ऐसे लोक ट्रस्ट परम्परागत रूप से प्रायः दो भागों में वर्गीकृत होते रहे हैं – दातव्य लोक न्यास (चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट) तथा धार्मिक लोक न्यास (रिलीजियस पब्लिक ट्रस्ट)। इसी वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए पूर्व में The Religious Endowments Act, 1863, The Charitable Endowments Act, 1890, The Charitable and Religious Trusts Act, 1920 बनाए गए थे। विशेषतः धार्मिक लोक न्यास (रिलीजियस

पब्लिक ट्रस्ट) में विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। देवस्थान विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प 5 (14)देव/2017 जयपुर, दिनांक : 07.12.2017 में मंदिरों के लोक न्यास के पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में तथा परिपत्र क्रमांकः प 5 (14)देव/2017 जयपुर, दिनांक : 11.12.2017 में मंदिरों के लोक न्यास के परिवाद निस्तारण की कार्यवाही के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में उनकी भी पालना सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में विभिन्न मार्गदर्शक न्यायिक निर्णयों का भी अवलोकन एवं अनुपालन किया जाए।

10 जहां यह पाया जाए कि किसी मंदिर के लोक न्यास के पंजीयन के समय उसके स्वामित्व के अभिलेखों को समुचित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो जांच के उपरांत उन्हें नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व समुचित निर्णय लेते हुए धारा 23–24 के अंतर्गत वांछित संशोधन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

शासन सचिव, देवस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

8 आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।

9 सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर– प्रथम एवं द्वितीय/उदयपुर/कोटा /बीकानेर /जोधपुर /भरतपुर/हनुमानगढ/ऋषभदेव एवं वृन्दावन।

10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव